

69 is about Rs. 2 lakhs. The losses are due to pre-operative expenditure pending the going into production of the various Units of the Company.

राजस्थान में मोटे घनाज के मूल्य

*559. श्री प्रकाशबीर शास्त्री :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भीषण सूखे के कारण ज्वार तथा मक्का प्रायः जसे मोटे घनाज के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सह-कार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अम्नासाहिब सिन्घे) : (क) हालांकि सितम्बर, 1968 तक मूल्यों में बृद्धि हुई थी, लेकिन अक्टूबर से मूल्यों में गिरावट का रुख आया है।

(ख) राजस्थान से ज्वार, बाजरा और मक्के के संचलन पर सितम्बर, 1968 से रोक लगाया गया है। केन्द्रीय भंडार से राजस्थान को खाद्यान्नों का प्राबंटन भी बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी वितरण प्रणाली शुरू कर दी है।

रेलवे से विवाद के संबंध में अन्न अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की सहायता करने से इन्कार

*580. श्री रामस्वरूप बिश्वाची : क्या अन्न तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों के संगठनों से इस पाषय का कोई ज्ञापन प्राप्त

हुआ है कि कर्मचारियों का रेलवे से विवाद होने की स्थिति में अन्न अधिकारी उनकी सहायता करने से इन्कार कर देते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय ने अन्न अधिकारियों को कोई ऐसे आदेश दिये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, जिन्होंने कर्मचारियों और रेलवे के बीच विवाद होने पर विधि का उल्लंघन करके, कर्मचारियों के आवेदन पत्र लेने से इन्कार किया है ?

अन्न तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस सम्बन्ध में हाल ही में रेलवे कर्मचारियों की गैर-मान्यता-प्राप्त यूनियन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

(ख) और (ग) . विवादों को निपटाने के लिये रेलवेज में एक स्थायी वार्ता मशीनरी है। इसलिये केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के अधिकारियों के लिए रेलवेज के विवादों में हस्तक्षेप करना उस समय तक सदा आवश्यक नहीं है जब तक कि विवाद से सम्बद्ध पक्ष विभागीय मशीनरी द्वारा समझोते के सभी उपायों का इस्तेमाल न कर लें, अथवा जब तक कि हड़ताल के नोटिस की भाँति उनके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना आवश्यक न हो। फिर भी केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के अधिकारी अन्न कानूनों की आवश्यकताओं को देखते समय स्वयं को, यदि कोई हो, संबंधित रेलवे प्रशासन के ध्यान में लाते हैं।

बिहार में निम्न आर्य वर्ग वाले लोगों के पास कृषि योग्य भूमि

*581. श्री क० लि० मचुकर : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में समाज के निम्न आर्य वर्ग के पास कितने प्रतिशत बेसी योग्य कृषि भूमि है ;